

IHM/2025-26/RAGGING/691

09.07.2025

## सूचना / NOTICE

इस संस्थान के छात्रों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थान के परिसर में या परिसर के बाहर रैगिंग का कोई भी रूप एक संज्ञेय अपराध है तथा कानून के द्वारा दंडनीय है।

यदि ऐसा कोई भी कृत्य संस्थान के जानकारी में लाया जायेगा तो संस्थान आवश्यक कार्रवाई के रूप में ऐसे मामले पुलिस के हवाले सौंपेगा तथा संस्थान से भी निष्कासीत करेगा।

उपरोक्त के अनुसार, छात्रों को एतद्वारा चेतावनी दीजाती है कि ऐसी किसी भी गतिविधियोंमें न पड़े जिससे रैगिंग का गठन हो।

The students of this Institute are hereby informed that any form of **RAGGING in or outside the Institute premises** is a cognizable offence and is punishable by law.

If any such act is brought to the knowledge of the Institute, the Institute will take necessary action such as handing over the matter to the police and also rustication from the Institute.

In view of the above, students are hereby warned not to indulge in any form of activities which will constitute as **RAGGING**.

  
(डोना डि'सूज़ा/DONNA D'SOUZA)

प्रधानाचार्य/सचिव / PRINCIPAL/SECRETARY

होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान

संस्थान - गोवा के लिए और की ओर से/for and on behalf

of Institute of Hotel Management, Catering

Technology & Applied Nutrition - Goa.

